ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(7)

आर0ई0आर0 केश सं0– 80/16–17

मु0 अमीनुद्धीन बनाम् मु0 जहुर

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से आंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक मु0 अमीनुद्धीन, पे0–स्व0 मु0 मोमताज, ग्राम–लौगांय, अंचल–महागामा के आवेदन पर मौजा–खुर्द नं0–518, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–20, कुल रकवा– 04–12–16 धूर में से 00–04–00 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–खुर्द नं0–518, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–20, कुल रकवा– 04–12–16 धूर जमीन गेंजर सेटलमेंट में जमाबंदी रैयत आशो मंडल के नाम से दर्ज है। वर्त्तमान में विपक्षी द्वारा मौजा–खुर्द नं0–518, जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–20, रकवा– 00–04–00 धूर जमीन पर गलत तरीके से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के विरूद्ध कब्जा कर लिया है। विपक्षी के द्वारा राजनितिक पहुंच एवं ताकत के बल पर विवादित भूमि को कब्जा कर लिया है। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विवादित भूमि विपक्षी के कब्जे से खाली कराते हुए विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा के साथ कागजात दाखिल किया गया है। कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी पर यह वाद चलने योग्य नहीं है। आवेदक को विपक्षी के जमीन से कोई सरोकार नहीं है। विपक्षी को परेशान करने की नियत से श्रीमान के न्यायालय में वाद दायर किया गया है। आवेदक द्वारा मौजा–खुर्द में रकवा– 00–06–10 धूर जमीन मदरसा में दान कर दिया गया है। वर्त्तमान में मदरसा चल रहा है एवं करीब 200 बच्चे रहते हैं तथा 400 बच्चे अगल–बगल के गांव से पढ़ने आते हैं। आवेदक के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से दिनांक–16.10.2017 को 00–06–10 धूर भूमि मदरसा वो मस्जिद के नाम से दान कर चुके हैं, जिसमें नमाज एवं मदरसा में पढ़ाई चल रहा है। आवेदक द्वारा पूर्व में ही केश नहीं लड़ने के संबंध में आवेदन पत्र दिया जा चुका है। अतः विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र की प्रति एवं ग्रामीणों द्वारा बैठक कर दिया गया बैठक की कार्यवाही संलग्न करते हुए वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि पर मदरसा एवं मस्जिद बना हुआ है तथा वहां मदरसा में करीब 600 बच्चे पढ़ते हैं तथा ग्रामीणों द्वारा मस्जिद में नमाज भी पढ़ा जाता है। अतः उक्त प्रश्नगत भूमि पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 लागू नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

30.11.17

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

30.11.17

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।